भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
'नारकोटिक्स हाऊस' राजस्व कालोनी
नीमच (म.प्र.) 458441

Government of India
Ministry of Finance, Department of Revenue
Central Bureau of Narcotics
O/o the Deputy Narcotics Commissioner,
"Narcotics House", Neemuch (M.P.) 458 441

EPABX-07423-223030 FAX- 07423-220099/220077 e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in

F.No. I(22)2/Adm./Tent & Light/2019- Date: 07.03.2019

:: विज्ञप्ति ::

मध्य–प्रदेश इकाई में अफीम फसल वर्ष 2018–19 के लिए विभिन्न अफीम तौल केन्द्रों पर शामियाना, कनात एवं बिजली के सामान आदि किराए पर सप्लाई हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। जी.एस.टी. के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी। तौल कार्य माह अप्रैल 2019 के प्रथम सप्ताह से अप्रैल 2019 के तृतीय सप्ताह तक चलने की संभावना है।

क्र. सं.	सामग्री का नाम	डिवीजन एवं तौल केन्द्र का नाम							
		नीमच प्रथम	नीमच द्वितीय	नीमच तृतीय	मंदसौर प्रथम	मंदसौर द्वितीय	मंदसौर तृतीय	जावरा प्रथम / द्वितीय	गरोठ
		नीमच	सिंगोली	मनासा	मन्दसौर	मन्दसौर	सीतामऊ	जावरा	दूधाखेडी
1.	टेन्ट (18x18) या (15x15)	80	80	60	65	65	85	40	45
2.	कनात (9x6)	65	70	60	65	65	70	40	40
3.	दरी (8x10)	20	40	25	65	65	50	40	30
4.	टेबल (2.5x4)	50	50	35	40	35	50	40	30
5.	कुर्सी	75	100	80	125	150	80	60	100
6.	मेटिंग (50x5)	72	80	60	65	50	75	40	25
7.	तखत (6x4)	15	15	45	06	08	10	02	06
8.	ड्रम (200 Ltr.)	15	15	8	08	06	20	05	05
9.	पर्दे	40	40	40	35	40	30	20	20
10.	टेबल कवर	65	60	35	40	35	50	40	30
11.	गादी मय तकिया	10	20	50	25	20	45	25	70
12.	चादर	10	20	50	25	20	30	25	50
13.	लोहे की चारपाई	–	15	30	05	10	30	15	50
14.	बांस / आयरन बेरीकेटस	–	–	500 फिट	–	300 फिट	–	–	–
	विद्युत सामग्री								
1.	जनरेटर डीजल सहित 7.5 के.वी.	2	02	–	–	02	–	02	02
2.	ट्यूब लाईट 40 वॉट	50	50	40	40	30	40	–	40
3.	हेलोजन (500 वॉट)	20	30	30	25	05	25	10	15
4.	बल्ब (100 वॉट)	–	–	25	35	10	20	–	40
5.	मेगाफोन	02	02	01	01	01	01	01	01
6.	पैडस्टल फेन	40	20	35	35	30	30	20	15
7.	कुलर डेजर्ट	30	25	45	30	25	30	20	15
8.	इनवेटर / बैटरी सहित	–	02	03	02	–	01	–	02
9.	सीएफएल लेम्प (45 वॉट)	20	30	40	20	35	45	35	40
10.	पावर एक्सटेंशन बोर्ड (3 पिन)	15	10	25	10	10	15	05	10
11.	पावर एक्सटेंशन बोर्ड (2 पिन)	10	05	15	–	10	–	05	15
12.	लिटिल जनरेटर सेट 30 के.वी.	–	–	01	–	–	–	–	–
13.	जनरेटर (डीजल सहित) 10 के. वी.	–	–	–	02	–	03	–	–

नियम व शर्ते

1. उपरोक्त सामान की आपूर्ति संबंधित जिला अफीम अधिकारी के विभिन्न तौल केन्द्रों पर करनी होगी। समस्त सामान को तौल प्रारंभ होने वाले केन्द्र पर पहुँचाने तथा तौल समाप्ति वाले केन्द्र से वापस उठाने की जिम्मेदारी स्वयं पार्टी की होगी।
2. तौल केन्द्र अनुसार निविदा देनी होगी। निविदा में प्रतिदिन किराए से सम्मिलित जी.एस.टी. व अन्य टैक्स अलग–अलग कर बताएं।
3. निविदादाताओं को प्रति निविदा के हिसाब से धरोहर राशि रूपये 5000/– (रूपये पाँच हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के नाम देय होगा, निविदा के साथ जमा कराना होगा।
4. प्रत्येक तौल केन्द्र पर जनरेटर चलाने व अन्य सामान के रखरखाव के लिए फर्म का एक व्यक्ति हमेशा केन्द्र पर रहेगा जिसका कोई व्यय विभाग द्वारा नहीं दिया जायेगा।

निरन्तर..........2........

5. सभी सामान प्रत्येक डिवीजन की आवश्यकतानुसार सही हालत में सप्लाई करना होगा। सामान की टूट–फूट व खोने की जिम्मेदारी फर्म की अपनी होगी। इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार/क्लेम मान्य नहीं होगा।
6. निविदादाता अपनी मोहरबन्द निविदा जिस पर **निर्दिष्ट डिवीजन** व **तौल केन्द्र का नाम** व मद अंकित हो, इस कार्यालय में 14.03.2019 को 11:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे दिनांक 14.03.2019 को 12:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।
7. इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए इस कार्यालय में 10:00 बजे से 18:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।
8. फर्म द्वारा सप्लाई किया गया सामान व उसकी देखभाल संतोषजनक नहीं होने पर फर्म का भुगतान रोका जा सकता है, अथवा कटौती की जा सकती है। यदि कोई सामान पुराना व खराब पाया जाता है तो जि.अ.अ. अन्य फर्मों से सामान मंगवा सकते हैं, जिसका भुगतान निविदादाता के भुगतान से काटा जायेगा।
9. निविदादाता दर देते समय कृपया ध्यान रखें कि इन सामानों के साथ उपयोग में आने वाले आवश्यक सामान यथा बॉक्स, रस्सी, बांस बेरीकेट्स अथवा बिजली के तार, प्लग बोर्ड, एम.सी.बी., पैनल बोर्ड आदि शामिल है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज विभाग द्वारा देय नहीं है।
10. शामियाना एवं अन्य सामान की क्वालिटी उत्तम होनी चाहिए। यदि शामियाना, दरियाँ, कारपेट तथा अन्य सामानों की क्वालिटी खराब अथवा निम्न स्तर की पाई गई तो बिल की राशि में कटौती की जायेगी।
11. अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए एक या सभी निविदा को निरस्त करें। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा। सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
12. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
13. केवल वही फर्म निविदाएँ प्रस्तुत करें जो आयकर रिटर्न भरती है। पिछले वर्ष की आयकर रिटर्न तथा पैन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।
14. उक्त निविदा इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर भी उपलब्ध है।

आज्ञा से

उप नारकोटिक्स आयुक्त,
नीमच (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें।

अधीक्षक (कार्य.)
नीमच (म.प्र.)